हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–1/2025–लेज शिमला–2 *14 फरवरी, 2025*

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025 को दिनाक 13–02–2025 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2025 के अध्यादेश संख्यांक 1 के रुप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल
प्रधान सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार

अध्यादेश यहां प्रकाशित किया जाए ।

2025 का अध्यादेश संख्यांक 1

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **अध्यादेश।**

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉं विद्यमान है जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (I) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करतें है:-

संक्षिप्त नाम। 1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025 है।

अनुसूची 1–क का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क में,–

क) अनुच्छेद 23 के परंतुक के अंत में चिन्ह "।"के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2) (ज) के अधीन सम्पति हस्तांतरण की अनुज्ञा प्रदान की गई है वहां स्टाम्प शुल्क, लिंग का विचार किए बिना, बाजार मूल्य या प्रतिफल रक्म, जो भी अधिक हो, का बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन, तथा दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित ।"

ख) अनुच्छेद 35 में,–

(i) खंड (क) के परंतुक के अंत में चिन्ह "।"के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2) (ज) के अधीन पट्टे पर दी गई सम्पत्ति की अनुज्ञा प्रदान की गई है; वहां स्टाम्प शुल्क पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन तथा दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

इस परन्तुक के अधीन ऐसे मामलों में पट्टे विलेख पर स्टाम्प शुल्क के परिकलन हेतु फार्मूला:–

बारह प्रतिशत गुणा बाजार मूल्य गुणा (पट्टे की अवधि) / 100।"

(ii) खंड (ख) के अंत में चिन्ह "।"के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिघृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2) (ज) के अधीन पट्टे सम्पत्ति हेतु अनुज्ञा दी गई है, वहां स्टाम्प शुल्क पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य या पट्टे की सम्पूर्ण रकम जो ऐसे पट्टे के अधीन संदत्त या परिदत्त, करनी होगी, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो, का बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी" ।

(शिव प्रताप शुक्ल)
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश

(शरद कुमार लगवाल)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला:
तारीख 14 फरवरी, 2025

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ORDINANCE No. 1 of 2025

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Himachal Pradesh.

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title.

1. This Ordinance may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2025

Amendment of Schedule 1-A.

2. In the Indian Stamp Act, 1899, as applicable to the State of Himachal Pradesh in Schedule 1-A,-

a) in article 23, in the proviso, at the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that where permission for conveyance of property is granted by the State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972; the Stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value or the consideration amount, whichever is higher, irrespective of gender, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.".

b) in article 35,-

(i) in clause (a), at the end, for the sign"." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh

Tenancy and Land Reforms Act, 1972, the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.

Formula for calculating stamp duty on lease deeds in such cases of permission under this proviso:-

12% x market value x (period of lease)/100.".

(ii) In clause (b), at the end for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act 1972, the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property or the whole lease amount which would be paid or delivered under such lease, if any, whichever is higher, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.".

(SHIV PRATAP SHUKLA)
Governor, Himachal Pradesh.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Pr. Secretary (Law)
SHIMLA:
The 14th February, 2025